[2021] 2 एस.सी.आर. 851 851 851

डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एएनआर के लिए एसोसिएशन।

बनाम

भारत संघ एवं ओआरएस.

(2019 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 183625 और 2021 का 36653)

में

(रिट याचिका (सी) संख्या 880 ऑफ़ 2017)

26 मार्च 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए.एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमण्यम, जे.जे.]

चुनाव:

चुनावी बांड योजना, 2018 - चुनावी बांड योजना, 2018 के तहत चुनावी बांड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करने वाला एक अन्य आवेदन - भारत संघ को चुनावी बांड की बिक्री के लिए कोई और खिड़की न खोलने का अंतरिम निर्देश देने की मांग करने वाला एक अन्य आवेदन, जो कि होने की संभावना है योजना के तहत 01.04.2021 को खोला गया - याचिका है कि चुनावी बांड योजना राजनीतिक दलों के दानदाताओं को गुमनामी बनाए रखने की अनुमति देती है - माना गया: इस तथ्य के बावजूद कि योजना गुमनामी प्रदान करती है, योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होता है - जबकि बांड के खरीदार की पहचान रोक दी जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि अज्ञात/अज्ञात व्यक्ति बांड नहीं खरीद सकते हैं और इसे राजनीतिक दलों को नहीं दे सकते हैं - एक गैर-केवाईसी अनुपालन आवेदन या बांड की खरीद के लिए एक आवेदन जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है योजना अस्वीकार कर दी जाएगी - परिणामस्वरूप खरीदार के बारे में जानकारी निश्चित रूप से एसबीआई के पास उपलब्ध होगी जो अकेले ही योजना के अनुसार बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है - इसके अलावा, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बांड खरीदने में किसी के द्वारा किया गया कोई भी खर्च, उसे अपने खातों की पुस्तकों में व्यय के रूप में हिसाब देना होगा - इसके अलावा, चूंकि योजना राजनीतिक दलों को खातों का

लेखापरीक्षित विवरण दाखिल करने के लिए अनिवार्य करती है और चूंकि कंपनी अधिनियम के लिए पंजीकृत कंपनियों के वित्तीय विवरणों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होने वाली बांड की खरीद और नकदीकरण हमेशा उन दस्तावेजों में परिलक्षित होता है जो अंततः सार्वजनिक डोमेन में आते हैं - इस प्रकार, चूंकि योजना 2.1.2018 को शुरू की गई थी और बांड हर साल के आवधिक अंतराल पर जारी किए जाते हैं , अर्थात 2018, 2019 और 2020 बिना किसी बाधा के; और इस न्यायालय द्वारा कुछ सुरक्षा उपाय पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, इस स्तर पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है - इसके अलावा, एक बार जब इस न्यायालय ने कुछ अंतरिम व्यवस्था का निर्देश देने वाला आदेश पारित कर दिया है, तो उसके बाद हर बार उसी राहत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। योजना के तहत खरीदारी के लिए विंडो खुल गई है।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: अंतर्वर्ती आवेदन संख्या. 2019 का 183625 और अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक। 2017 की रिट याचिका (सी) संख्या 880 में 2021 का 36653।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, सुश्री शिवानी कपूर, सलाहकार। याचिकाकर्ताओं के लिए.

के.के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, आर बाला, राकेश द्विवेदी, मुकुल गुप्ता, वरिष्ठ वकील, अंकुर बेगानी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, श्याम गोपाल, सुश्री चिनमयी चंद्रा, अरविंद कुमार गुप्ता, सुश्री सीमा बेंगामी, अंकुर तलवार, श्रीमती अनिल कटियार, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, प्रतीक कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता, प्रशांत भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज, अभिसुमत गुप्ता, विक्रम सिंह जाखड़, पी. वी. दिनेश, सुश्री रश्मी सिंह, बिनीश के., अश्विनी कुमार सिंह, बी.के. पाल, मुकेश कुमार मरोरिया, अमित आनंद तिवारी, सुश्री शकुन शर्मा, सुश्री मैरी मिट्जी, सुश्री देवयानी गुप्ता, सुश्री सुषमा सूरी, अविरल कश्यप, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

व्यक्तिगत रूप से आवेदक।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया:

<u>आदेश</u>

1. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज़ ने एक साथ मिलकर उपरोक्त जनहित याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की गई है:

"(ए) घोषणा की रिट या कोई अन्य उचित रिट जारी करें जिसमें घोषणा की गई हो–

(i) वित्त अधिनियम 2017 की धारा 135 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 में किया गया संबंधित संशोधन,

(ii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 137, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29सी में संबंधित संशोधन किया गया।

(iii) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 11 और धारा 13ए, आयकर अधिनियम, 1961 में किया गया संबंधित संशोधन

(iv) वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 154 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में किए गए संबंधित संशोधन और

(v) वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 236 और विदेशी विनियमन अंशदान अधिनियम, 2010 की धारा 2(1)(जे)(vi) में किया गया संबंधित संशोधन

असंवैधानिक, अवैध और शून्य होने के नाते।

(बी) एक परमादेश रिट या कोई अन्य उचित रिट जारी करें जिसमें निर्देश दिया जाए कि कोई भी राजनीतिक दल नकद में कोई दान स्वीकार नहीं करेगा ।"

2. 3.10.2017 को रिट याचिका में नोटिस का आदेश दिया गया था और रिट याचिका को 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 333 और 2014 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18190 के साथ टैग करने का निर्देश दिया गया था। 2015 की याचिका (सी) संख्या 333 भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक अन्य व्यक्ति द्वारा थी, उसमें मांगी गई राहतें थोड़ी अलग थीं। उक्त रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएं **(i)** यह घोषणा करने के लिए थीं कि सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं; **(ii)** भारत के चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के वित्त से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने का निर्देश; **(iii)** सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपनी आय, व्यय, दान और फंडिंग के साथ-साथ दानदाताओं के पूरे विवरण का खुलासा करने का निर्देश।

3. 12.4.2019 को इस न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 333, 2017 की 880 और दो अन्य रिट याचिकाओं में एक अंतरिम आदेश पारित किया। उक्त अंतरिम आदेश के पैराग्राफ 11 से 15 इस प्रकार हैं:

"xxxx xxxx xxxx

11. हमने वित्त अधिनियम, 2016 और 2017 द्वारा लाए गए विभिन्न क़ानूनों में संशोधन सहित मामले पर विचार किया है। हमने भारत के चुनाव आयोग द्वारा हलफनामे में कही गई बातों सहित संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए रुख की बारीकी से जांच की है। दायर किया गया है, जिसका विवरण निर्धारित किया गया है। फिलहाल हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रतिद्वंद्वी विवाद महत्वपूर्ण मुद्दों को जन्म देते हैं जिनका देश में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए गहन सुनवाई की आवश्यकता होगी जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और चुनावी बांड के माध्यम से फंडिंग की प्रक्रिया बंद होने से पहले उपलब्ध सीमित समय के भीतर मुद्दों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि पहले उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार है।

12. इसलिए, अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी अंतरिम व्यवस्था की जा सकती है, वह किसी भी पक्ष के पक्ष में संतुलन नहीं झुकाएगी, बल्कि यह पार्टियों के प्रतिस्पर्धी दावों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिन पर अभी फैसला सुनाया जाना है। .

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हमारे अनुसार, उचित और उचित अंतरिम निर्देश यह होगा कि उन सभी राजनीतिक दलों को, जिन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से दान प्राप्त किया है, सीलबंद लिफाफे में भारत के चुनाव आयोग को दानदाताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक बांड के विरुद्ध; ऐसे प्रत्येक बांड की राशि और प्रत्येक बांड के विरुद्ध प्राप्त क्रेडिट का पूरा विवरण, अर्थात्, उस बैंक खाते का विवरण जिसमें राशि जमा की गई है और ऐसे प्रत्येक क्रेडिट की तारीख।

14. किसी राजनीतिक दल द्वारा अब तक प्राप्त चुनावी बांड के संबंध में उपरोक्त विवरण तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.2.2019, यानी 15.5.2019 के नोट के अनुसार ऐसे बांड जारी करने के लिए निर्धारित तिथि तक ऐसे अन्य बांडों का विवरण जो ऐसे राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 30 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 2019. सीलबंद लिफाफे भारत के चुनाव आयोग की हिरासत में रहेंगे और न्यायालय द्वारा पारित किए गए ऐसे आदेशों का पालन करेंगे।

15. चुनावी बांड योजना, 2018 के खंड 8 के अनुसार, चुनावी बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए जारी किए जाने हैं और

चुनावी वर्ष के दौरान अतिरिक्त 30 दिन प्रदान किए जाते हैं। ऊपर निकाले गए वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.2.2019 के नोट में निहित अनुसूची के अनुसार, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में बांड जारी करने के लिए कुल 45 दिनों की अवधि तय की गई है। हमें बताया गया है कि यह उस 10 दिनों की अवधि के अतिरिक्त है, जिसके दौरान जनवरी, 2019 के महीने में बांड उपलब्ध कराए गए थे। चुनावी बांड योजना के खंड 8 के मद्देनजर महीने में बांड जारी करने के लिए निर्धारित दिन मार्च और मई की अवधि को चुनावी वर्ष के लिए अनुमत 30 दिनों की अवधि से संबंधित होना आवश्यक होगा। इसलिए, जनवरी (10 दिन), अप्रैल (10 दिन) और चुनावी वर्ष के लिए 30 दिनों के लिए स्वीकार्य कुल अवधि 50 होगी, जबकि अनुसूची में कुल 55 दिनों की अवधि यानी 45 दिन से अधिक के लिए बांड जारी करने पर विचार किया गया है। जनवरी के 10 दिन. इसलिए, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.2.2019 के नोट में निहित अनुसूची से 5 दिनों की अवधि को हटाना होगा। ऐसा विलोपन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा जो विलोपन/बहिष्करण के दिन तय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. जैसा कि उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 11 की अंतिम पंक्ति से देखा जा सकता है, इस न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था करना उचित समझा क्योंकि चुनावी बांड के माध्यम से फंडिंग की प्रक्रिया से पहले उपलब्ध सीमित समय के भीतर सभी मुद्दों पर निर्णय लेना संभव नहीं था। समापन पर आ गया. जिस समय उपरोक्त अंतरिम आदेश पारित किया गया था, उस समय मार्च, अप्रैल और मई, 2019 के महीनों के लिए चुनावी बांड जारी करने का कार्यक्रम घोषित किया गया था (i) 1.3.2019 से 15.3.2019; (ii) 1.4.2019 से 20.4.2019; और (iii) 6.5.2019 से 15.5.2019 तक।

5. इसके बाद, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उपरोक्त आवेदन I.A दायर किया। 2019 की संख्या 183625 में केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 2.1.2018 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित चुनावी बांड योजना, 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस आवेदन के पैराग्राफ 6 में उल्लेख किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2019 को अंतरिम आदेश पारित करने के बाद मामले पर गहरा असर डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आए। हालाँकि, 29.11.2019 को दायर उपरोक्त आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकी।

6. इसलिए, रिट याचिकाकर्ता आई.ए. में एक नया आवेदन लेकर आए हैं। 2021 की संख्या 36653 में उत्तरदाताओं को चुनावी बांड योजना, 2018 के तहत चुनावी बांड की बिक्री

के लिए कोई और खिड़की नहीं खोलने और उत्तरदाताओं को चुनावी बांड की किसी भी आगे की बिक्री से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है। यह आवेदन इस आधार पर दायर किया गया है कि नए बांड की बिक्री के लिए विंडो वर्तमान में 1 अप्रैल, 2021 को खुलने की संभावना है।

7. चूंकि दोनों आवेदनों में मांगी गई राहतें, हालांकि दो साल के अंतराल में दायर की गईं, एक ही हैं, इसलिए उन्हें एक साथ लिया गया।

8. शुरुआत में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि नवीनतम आवेदन की प्रति केवल तीन दिन पहले प्राप्त हुई थी और हालांकि, यदि आई.ए. में मिली सामग्री के अलावा कोई नई सामग्री नहीं मिलती है तो वह काउंटर के लिए समय मांगे बिना दलीलें आगे बढ़ाएंगे। 2019 के नंबर 183625 पर भरोसा किया गया है। इस पर सहमति बनी.

9. हमने आवेदकों/रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण, श्री के.के. को सुना है। वेणुगोपाल, भारत संघ के विद्वान अटॉर्नी जनरल और श्री राकेश द्विवेदी, भारत के चुनाव आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील थे।

10. हमें शुरुआत में ही यह बता देना चाहिए कि एक ही राहत के लिए बार-बार आवेदन नहीं किए जा सकते, केवल इसलिए कि मांगी गई अंतरिम राहत किसी ऐसी चीज से संबंधित है जो समय-समय पर होती रहती है। चुनावी बांड योजना, 2018 के खंड 8(1) के तहत योजना के तहत बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए, एक बार जब इस न्यायालय ने 12.4.2019 को एक आदेश पारित कर कुछ अंतरिम व्यवस्था का निर्देश दिया है, तो उसके बाद हर बार योजना के तहत खरीद के लिए विंडो खुलने पर उसी अंतरिम राहत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

11. प्रक्रिया और अभ्यास के उपरोक्त सामान्य नियम के बावजूद, उठाए गए मुद्दों की गंभीरता के कारण, हमने वर्तमान आवेदनों पर दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना। चुनावी बांड योजना पर श्री प्रशांत भूषण का मुख्य हमला यह है कि यह राजनीतिक दलों के दानदाताओं को गुमनामी बनाए रखने की अनुमति देता है जो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। यद्यपि तकनीकी रूप से सरकार दानदाताओं के नाम पता लगाने की स्थिति में हो सकती है, क्योंकि यह योजना बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से संचालित होती है,

जनता और राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं हैं, के सदस्य नहीं मिल पाएंगे। बाहर। इसके अलावा, सत्ता में रहने वाली पार्टी द्वारा प्राप्त धन की राशि आम तौर पर अधिक होगी, क्योंकि इसे एहसान के साथ बदला जाएगा। विद्वान वकील ने हमारा ध्यान भारतीय रिज़र्व बैंक (संक्षेप में "आरबीआई") के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्रों की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस योजना के बारे में गंभीर आपत्तियां थीं।

12. स्थगन की प्रार्थना का विरोध करते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि इस योजना का उद्देश्य चुनावों में बेहिसाब धन के प्रभाव को रोकना था और इस योजना के तहत दानकर्ता केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से काम करने के लिए बाध्य हैं। विद्वान अटॉर्नी जनरल के अनुसार, इससे चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने वाले काले धन के खतरे पर अंकुश लगा। भारत निर्वाचन आयोग के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने इस योजना का समर्थन किया।

13. यह सच है, जैसा कि पत्राचार से पता चलता है, आरबीआई को कुछ आपत्तियां हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि आरबीआई और भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड योजना का ही विरोध किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31(3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 2.1.2018 की एक अधिसूचना द्वारा चुनावी बांड योजना, 2018 जारी की गई थी। ये चर्चाएँ थीं जिनमें RBI ने भाग लिया। 4.8.2017 के अपने पत्र में आरबीआई ने केवल कुछ सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। आरबीआई के दिनांक 4.8.2017 के पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"xxxx xxxx xxxx

हम अनुशंसा करते हैं कि अवांछनीय गतिविधियों के लिए ऐसे बांडों के दुरुपयोग की अंतर्निहित गुंजाइश को कम करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सकता है।

(ए) ईबीबी की अवधि अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है।

(बी) ईबीबी को 1,000 रुपये, 10,000 रुपये या 100,000 रुपये के गुणकों में किसी भी मूल्य पर खरीदा जा सकता है।

(सी) ईबीबी की खरीद क्रेता के पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन वाले बैंक खाते से की जाएगी।

(डी) ईबीबी को केवल पात्र राजनीतिक दल के नामित बैंक खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है।

(ई) ईबीबी की बिक्री सीमित अवधि के लिए खुली रहेगी, साल में दो बार, प्रत्येक 7 दिन के लिए हो सकती है।

(एफ) ईबीबी केवल आरबीआई, मुंबई में जारी किए जाएंगे।

14. यहां तक कि आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ने अपने पत्र दिनांक 14.9.2017 में भी कहा था कि योजना का मुख्य उद्देश्य गुमनामी प्रदान करना है और यदि बांड इलेक्ट्रॉनिक रूप में आरबीआई के साथ डिपॉजिटरी के रूप में जारी किए जाते हैं तो इसे प्राप्त किया जा सकता है। एक भौतिक स्क्रिप. 27.9.2017 को मामला आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने गंभीर आपत्ति जताई। आरबीआई के अगले पत्र दिनांक 27.9.2017 में शामिल इन आपत्तियों को श्री प्रशांत भूषण ने अपने तर्क के समर्थन में हमें पढ़ा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के रूप में देखा जाएगा, बल्कि इसे सक्षम करने के इरादे से भी प्रक्षेपित किया गया।

15. हालाँकि, आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर द्वारा वित्त मंत्री को लिखे गए उसी पत्र दिनांक 27.9.2017 का पैराग्राफ 5 उनकी अंतिम स्थिति को स्पष्ट करता है और यह इस प्रकार है:

"अगर सरकार ईबी को स्क्रिप फॉर्म में जारी करने पर अपने रुख पर फिर से विचार करने के लिए सहमत है, तो हम डीमैट फॉर्म में ईबी जारी करने के तौर-तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें आय को अंततः एक राजनीतिक दल के नामित बैंक खाते में जमा करने से पहले कई हस्तांतरण की सुविधा भी शामिल है। और रिज़र्व बैंक प्रारंभिक ग्राहक और उसके बाद स्थानांतरित होने वालों की जानकारी का एकमात्र संरक्षक है। आप कृपया इस बात की सराहना करेंगे कि इससे हमें योगदानकर्ता को गुमनामी प्रदान करने का दोहरा लाभ मिलेगा और साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि राजनीतिक दल को बांड का मूल्य जमा करने से पहले व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच हस्तांतरण पर विचार बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा और नकद या अन्य माध्यम से नहीं. यह एक स्थायी सुधार होगा, जो सरकार के डिजिटलीकरण अभियान के अनुरूप है, जो सिस्टम के तैयार होने पर चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बना सकता है।"

16. इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि आरबीआई सैद्धांतिक रूप से इस योजना का विरोध कर रहा था। आरबीआई की आपत्ति डीमैट फॉर्म के बजाय स्क्रिप फॉर्म में बांड जारी करने पर थी। आरबीआई जो हासिल करना चाहता था, वह उनके अपने शब्दों में, **(i)** योगदानकर्ता को गुमनामी प्रदान करने का दोहरा लाभ था; और **(ii)** यह सुनिश्चित करना कि हस्तांतरण

पर विचार बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाए न कि नकद या अन्य माध्यमों से। वास्तव में आरबीआई ने चुनावी बांड को **"सरकार के डिजिटलीकरण प्रयास के अनुरूप एक स्थायी सुधार" कहा है।** इसलिए, आरबीआई द्वारा स्वरूप के संबंध में व्यक्त की गई चिंताएं, न कि सार के संबंध में, वास्तव में याचिकाकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं।

17. वास्तव में, आरबीआई की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और योजना में शामिल किया गया है। योजना की निम्नलिखित विशेषताएं इसे प्रदर्शित करती हैं: **(i)** केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोक सभा के लिए डाले गए वोटों में से कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। या विधान सभा बांड प्राप्त करने की हकदार होगी; **(ii)** किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा बांड को केवल अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से भुनाया जा सकता है; **(iii)** केवाईसी मानदंडों और बैंक के ग्राहक के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी मौजूदा निर्देश बांड के खरीदारों के लिए लागू होंगे और अधिकृत बैंक किसी अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेज़ के लिए भी कॉल कर सकता है; **(iv)** बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होगा और यदि वैधता अवधि की समाप्ति के बाद बांड जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा; **(v)** बांड जारी करने के लिए सभी भुगतान भारतीय रुपये में, डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम या खरीदारों के खाते के सीधे डेबिट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे; **(vi)** बांड को पात्र राजनीतिक दल के नामित बैंक खाते में जमा करके ही भुनाया जा सकता है; **(vii)** बांड के अंकित मूल्य को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत आयकर से छूट के उद्देश्य से एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से आय के रूप में गिना जाएगा।

18. इस तथ्य के बावजूद कि योजना गुमनामी प्रदान करती है, योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो। हालांकि बांड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि अज्ञात/अज्ञात व्यक्ति बांड खरीदकर राजनीतिक दलों को नहीं दे सकें। योजना के खंड 7 के तहत, खरीदारों को उसमें निर्दिष्ट विवरण का खुलासा करते हुए निर्धारित फॉर्म में या तो भौतिक रूप से या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यद्यपि खरीदार द्वारा दी गई जानकारी को अधिकृत बैंक द्वारा गोपनीय माना जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी प्राधिकारी को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा, यह एक अपवाद के अधीन है, जब सक्षम अदालत द्वारा मांग की जाती है या किसी कानून प्रवर्तन द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया

जाता है। एजेंसी। गैर-केवाईसी अनुपालन वाला आवेदन या योजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

19. जहां तक चुनाव आयोग को सूचना देने का सवाल है, इस न्यायालय द्वारा 12.4.2019 को पारित अंतरिम आदेश में इसका ख्याल रखा गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3.2.2020 को दाखिल जवाब में आई.ए. 2019 के नंबर 183625 में उनके द्वारा कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों (राष्ट्रीय, राज्य और पंजीकृत और अपंजीकृत दलों) से सीलबंद कवर प्राप्त हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर जवाब के अनुलग्नक सी/1 में, चुनाव आयोग ने उन राजनीतिक दलों की एक सूची प्रदान की है जिन्होंने इस न्यायालय के दिनांक 12.4.2019 के आदेश के अनुसार आवश्यक विवरण दाखिल किया है। भारत के चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में आवश्यक जानकारी प्राप्त होने की तारीखें भी अनुबंध सी/1 में दर्शाई गई हैं।

20. उत्तर के अनुलग्नक सी/2 में, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

21. यह तथ्य कि कुछ पार्टियों ने अभी तक अपने अंकेक्षित वार्षिक खाते जमा नहीं किए हैं, एक अलग मामला है और यह वर्तमान आवेदनों का विषय नहीं है।

22. हम इस स्तर पर यह नहीं जानते हैं कि यह आरोप कहां तक टिकाऊ है कि योजना के तहत, भारत और विदेश दोनों में कॉर्पोरेट घरानों द्वारा राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पूरी तरह से गुमनामी होगी। यदि बांड की खरीद और उनका नकदीकरण केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो सकता है और यदि बांड की खरीद केवल केवाईसी मानदंडों को पूरा करने वाले ग्राहकों को ही दी जाती है, तो खरीदार के बारे में जानकारी निश्चित रूप से एसबीआई के पास उपलब्ध होगी जो अकेले ही जारी करने के लिए अधिकृत है। और योजना के अनुसार बांड भुनाएं। इसके अलावा, बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बांड खरीदने में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी खर्च को उसकी लेखा पुस्तकों में व्यय के रूप में दर्ज करना होगा। चुनावी बांड खरीदने वाली कंपनियों के ट्रायल बैलेंस, नकदी प्रवाह विवरण, लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट में चुनावी बांड की खरीद में व्यय के रूप में खर्च की गई राशि को आवश्यक रूप से प्रतिबिंबित करना होगा।

23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (1) के तहत प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों की किताबें और वित्तीय विवरण तैयार करेगी और रखेगी। 'वित्तीय विवरण' को धारा 2(40) के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"2. —

(40) किसी कंपनी के संबंध में "वित्तीय विवरण" में शामिल हैं-

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में एक बैलेंस शीट;

(ii) लाभ और हानि खाता, या लाभ के लिए नहीं कोई गतिविधि करने वाली कंपनी के मामले में, वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय खाता;

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण;

(iv) यदि लागू हो तो इक्विटी में बदलाव का विवरण; और

(v) उप-खंड (i) से उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज़ से जुड़ा या उसका हिस्सा बनने वाला कोई भी व्याख्यात्मक नोट: बशर्ते कि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय के संबंध में वित्तीय विवरण कंपनी, नकदी प्रवाह विवरण शामिल नहीं कर सकती;"

24. धारा 129(1) के तहत, ऐसे वित्तीय विवरणों को कंपनी के मामलों की स्थिति का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना चाहिए और धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों का पालन करना चाहिए। ये वित्तीय विवरण प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में रखे जाने चाहिए कंपनी का। धारा 137 के तहत, वार्षिक आम बैठक में विधिवत अपनाए गए सभी दस्तावेजों के साथ वित्तीय विवरण की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी।

25. कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के वित्तीय विवरण, जो कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाते हैं, किसी के लिए भी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करके कंपनी रजिस्ट्रार से भौतिक रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। चूँकि यह योजना राजनीतिक दलों को खातों का लेखापरीक्षित विवरण दाखिल करने के लिए बाध्य करती है और चूँकि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने की आवश्यकता होती है, इसलिए बांड की खरीद और नकदीकरण, केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से होता है। हमेशा उन दस्तावेज़ों में प्रतिबिंबित होता है जो अंततः सार्वजनिक डोमेन में आते हैं। बस दोनों पक्षों (बांड खरीदने वाले और राजनीतिक दल) से ऐसी जानकारी निकालने और कुछ "निम्नलिखित का मिलान" करने के लिए थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि योजना के तहत संचालन लोहे के पर्दों के पीछे किया जा रहा है, जिन्हें छेदा नहीं जा सकता।

26. याचिकाकर्ताओं के तर्कों में से एक यह है कि यद्यपि पहली खरीद सफेद धन में भुगतान किए गए प्रतिफल के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हो सकती है, कोई व्यक्ति काले धन का उपयोग करके पहले खरीदार से बांड पुनर्खरीद कर सकता है और इसे एक राजनीतिक दल को सौंप सकता है। लेकिन यह विवाद योजना की अज्ञानता से उत्पन्न होता है। योजना के खंड 14 के तहत, बांड व्यापार योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, पहले खरीदार को ऐसी बिक्री से काले धन के बदले सफेद धन खोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा।

27. यह आशंका भी गलत है कि विदेशी कॉरपोरेट घराने बांड खरीद सकते हैं और देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। योजना के खंड 3 के तहत, बांड केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।

28. इसलिए, इस तथ्य के आलोक में कि योजना 2.1.2018 को शुरू की गई थी; कि बांड प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में आवधिक अंतराल पर जारी किए जाते हैं; कि उन्हें वर्ष 2018, 2019 और 2020 में बिना किसी बाधा के रिहा किया गया था; और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.2019 के अपने अंतरिम आदेश में पहले ही कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए जा चुके हैं, हमें इस स्तर पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं दिखता है। इसलिए स्टे की दोनों अर्जी खारिज की जाती है।

निधि जैन अर्जी खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।